6/8/18 वकुलाय उप०

पत्रावली वास्ते बहस दि 7/8/18

को पेश हो। वकाअधीनस्थ उप० रेकर्ड

प्राप्त हो चुका है

07.08.2018 वकुलाय उपस्थित।

उभयपक्ष ने उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत किया। पक्षकारान् को राजीनामा में लिखी इबारत पढ़ कर सुनाई गई एवं समझाया गया। जिस पर उभयपक्ष ने राजीनाम पढ़, सुन, समझ कर सही होना स्वीकार किया तथा राजीनामा अनुसार प्रकरण को निस्तारित कराने का निवेदन करते हुए हस्ताखर किए। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्ताओं द्वारा की गई है। अतः राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। चूंकि प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा माफिक राजीनामा अपील को निंस्तारित करवाना चाहते हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील इस रूप में निर्णित की जाती है कि अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाक़र न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 86/2016 शैतानसिंह वगैरा बनाम करणसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.11.2017 को अपास्त यिका जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जांच कर प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित करें। इस निर्णय की सत्य प्रति एवं राजीनामा की सत्य प्रतिलिपी अधीनस्थ न्यायालय को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही